



## मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल

( शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान )

### Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal

(An Institution of National Importance under Ministry of Education, Govt. of India)

विषय: यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार रैगिंग गतिविधि और दंड प्रावधानों के बारे में जानकारी

दिनांक: 26-05-2026

प्रिय माता-पिता/अभिभावक,


अभिवादन! मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। रैगिंग चाहे छोटी हो या बड़ी, इसमें लड़के हों या लड़कियां, हॉस्टल में हो या कैंपस में, संस्थान प्रशासन द्वारा इस गतिविधि को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए यूजीसी द्वारा दिए गए नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार रैगिंग को दंडित किया जाएगा। यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सजा के प्रावधान इस प्रकार हैं:

- किसी भी सत्रीय परीक्षा/विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने से रोकना या परिणाम रोकना
- कक्षाओं में भाग लेने और शैक्षणिक विशेषाधिकारों से निलंबन
- छात्रवृत्ति और अन्य लाभ वापस लेना
- एक माह की अवधि के लिए कॉलेज से निलंबन
- प्रवेश रद्द करना
- किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैठक, टूर्नामेंट, युवा उत्सव आदि में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना
- छात्रावास से निलंबन/निष्कासन
- 1 से 4 सेमेस्टर या समकक्ष अवधि के लिए संस्थान से निष्कासन
- संस्थान से निष्कासन और परिणामस्वरूप किसी अन्य संस्थान में प्रवेश पर रोक
- पच्चीस हजार रुपये तक जुर्माना
- एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है
- सामूहिक दंड - जब रैगिंग का अपराध करने वाले या उसे बढ़ावा देने वाले छात्रों की पहचान नहीं की जाती है, तो संस्था संभावित रैगिंग करने वालों पर सामुदायिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए निवारक के रूप में सामूहिक दंड का सहारा लेगी।

इस संबंध में, हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि हम रैगिंग गतिविधि को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चे को सूचित करें कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस गतिविधि में शामिल न हों और खुद को ऐसी गतिविधियों से दूर रखें। वह किसी भी जानकारी और सहायता के लिए MANIT की एंटी-रैगिंग समिति से संपर्क कर सकते हैं।

हम आपके बच्चे को उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने और रैगिंग मुक्त वातावरण बनाए रखने में मदद करके मैनिट में एक सफल कैरियर की कामना करते हैं।

सम्मान,

  
26/5/26  
डॉ. सी. एम. कृष्णा

अध्यक्ष (रैगिंग विरोधी समिति)

पता : मैनिट, लिंक रोड क्र. 3, माता मंदिर के पास, भोपाल - 462003 (म.प्र.) भारत

Address: MANIT, Link Road No. 3, Near Mata Mandir, Bhopal - 462003 (M.P.) INDIA

फोन/ Phone: +91-755-4051000, 4052000 फैक्स/Fax: +91-755-2670562 वेब./Web.: <http://www.manit.ac.in>



मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल

( शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान )

**Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal**

(An Institution of National Importance under Ministry of Education, Govt. of India)

Sub: Information about ragging activity and the punishment provisions as per UGC guidelines

Date: 26-05-2026

Dear Parent(s)/Guardian.

Greetings! Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal maintains zero tolerance to ragging. Ragging whether it is minor or major, whether involvement is from boys or girls, whether in hostels or in the campus, the activity is taken very seriously by the institute administration. The ragger will be punished as per the rules and guidelines given by UGC for curbing the menace of ragging. The punishment provisions as per UGC guidelines are as follows:

- Debarring from appearing in any sessional test/ university examination or withholding results
- Suspension from attending classes and academic privileges
- Withdrawing scholarships and other benefits
- Suspension from the college for a period of one month
- Cancellation of admission
- Debarring from representing the institution in any national or international meet, tournament, youth festival, etc
- Suspension/expulsion from the hostel
- Rustication from the institution for periods varying from 1 to 4 semesters or equivalent period
- Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution
- Fine up to twenty five thousand rupees
- Imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both
- Collective punishment - When the students committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggars.

In this regard, we wish to inform you about the seriousness with which we treat the ragging activity and request you to inform your ward(s) not to indulge in this activity directly or indirectly and keep himself/ herself away from such activities. He/ She may contact the anti-ragging committee of MANIT for any information, assistance or help.

We wish your ward a successful career in MANIT by achieving his/her objectives and by helping us to maintain a ragging free environment.

Regards,

  
26/5/26  
Dr.C.M.Krishna

Chairman (Anti-Ragging Committee)

पता : मैनिट, लिंक रोड क्रं. 3, माता मंदिर के पास, भोपाल - 462003 (म.प्र.) भारत

Address: MANIT, Link Road No. 3, Near Mata Mandir, Bhopal - 462003 (M.P.) INDIA

फोन/ Phone: +91-755-4051000, 4052000 फैक्स/Fax: +91-755-2670562 वेब./Web.: <http://www.manit.ac.in>